प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 18 अगस्त, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थूलाल पुत्र श्री बुद्धसेन निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थूलाल पुत्र श्री बुद्धसेन, निवासी-ग्राम-मधुडांडी, थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। श्रीमती राममूर्ति से रामनाथ के नाजायज सम्बन्ध थे। रामनाथ के प्रेमप्रसंग में बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 16.05.1996 को समय 18:45 बजे बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-812/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 302/120बी, 148 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 03.08.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 19 वर्ष 11 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा रामनाथ के प्रेमप्रसंग में बन्दी ने निर्दयतापूर्वक बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधिकयों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे मे विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 41 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नही है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा अतिरिक्त् 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नत्थूलाल पुत्र श्री बुद्धसेन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी नत्थूलाल (बन्दी संख्या-15477) पुत्र श्री बुद्धसेन जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-674/2017/1903(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश सख्या-674/2017/1903/22-2-2016-17(109)/2011**

**दिनांक 18 अगस्त, 2017 का संलग्नक**

**<u>सरकार के आदेश</u>**

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थूलाल पुत्र श्री बुद्धसेन, निवासी-ग्राम-मधुडांडी, थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। श्रीमती राममूर्ति से रामनाथ के नाजायज सम्बन्ध थे। रामनाथ के प्रेमप्रसंग में बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 16.05.1996 को समय 18:45 बजे बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-812/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 302/120बी, 148 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश दिनांक 03.08.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.10.2005 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 04.09.2016 तक 19 वर्ष 11 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष 06 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की 05 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा रामनाथ के प्रेमप्रसंग में बन्दी ने निर्दयतापूर्वक बांका, कांता से मारकर 03 व्यक्तियों की निर्दयतापूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधिकयों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे मे विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 41 वर्ष 04 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नही है, इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा अतिरिक्त् 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी नत्थूलाल पुत्र श्री बुद्धसेन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।